कार्यालय

प्राचार्य शासकीय स्नातक महाविद्यालय

शहपुरा, जिला डिण्डोरी (म.प्र.)

दूरभाष क्रमांक : 07640-280206

फैक्स नम्बर : 07640-236002 (पी.पी.)

Email : hegcshandin@mp.gov.in

विवरण पत्रिका

20 - 20

प्रवेश का मार्ग दर्शन सिद्धांत

संस्था का ध्येय/लक्ष्य कथन –

''लक्ष्य'' आधारित गुणात्मक शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र के रुप में स्थापित होकर समाज की निर्णायक एवं विकासात्मक गतिविधियों में सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता हेतु विद्यार्थियों को सशक्त एवं सम्पूर्ण नागरिक बनाने में शिक्षा का सदुपयोग करना।''

उद्देश्य :

1. गुणात्मक शिक्षा एवं शोध के अवसर प्रदान करना।
2. व्यावसायिक एवं उद्यमी समाज के अनुरुप आवश्यक सभी क्षेत्रों में युवी पीढ़ी के कौशल को तराशना।
3. विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास करना।
4. विद्यार्थियों में अनुसंधनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना।
5. समानता की भावना एवं राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना।
6. कल्याणकारी समाज के निर्माण में मुख्य भूमिका निर्वहन करने की क्षमता विकसित करना।
7. श्रेष्ठ नागरिक के गुण पैदा करना।

महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों की दिशा, विद्यार्थियों को समाज के नव निर्माण, समानता के अधिकार एवं गरिमामय व्यक्तित्व की सीख देने की ओर केन्द्रित होगी ताकि समुचित शिक्षा के आलोक से विद्यार्थी एक सुसंस्कृत, उत्तरदायी, संवेदनशील व्यक्ति तथा देश के श्रेष्ठ नागरिक बन सकें।

अनुक्रमणिका –

आचार संहिता (आचरण संहिता) –

- विद्यार्थी को महाविद्यालयीन निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी पूर्णतः सहयोग प्रदान करना होगा।
- महाविद्यालय में कक्षाओं के दौरान मोबाइल का उपयोग अनुशासन हीनता के अन्तर्गत आता है।
- महाविद्यालयीन सम्पत्ति को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से क्षति नहीं पहुंचायेंगे।
- विद्यार्थी अपनी समस्या या कठिनाईयों के समाधान के लिये शांतिपूर्ण समाधान पूर्वक शासन के नियमों के तहत रास्ता अपनायेंगे। हिंसा, आंदोलन या आतंक का मार्ग नहीं अपनायेंगे।
- महाविद्यालयीन परिसर में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित करना वर्जित है।
- विद्यार्थी अपनी समस्या/कठिनाई समाधान के लिए महाविद्यालय स्तर पर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी से सम्पर्क कर समाधान करवायेंगे। बाहरी तत्वों का समाचार पत्रों को माध्यम न बनायें।
- अनैतिक या गंभीर अपराध पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
- परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग दुराचरण माना जावेगा। इस पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- महाविद्यालय भवन एवं परिसर में धूम्रपान, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित है।

- नियमित विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। उपस्थिति पूरी न होने पर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रुप में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

रैगिंग – मान.सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरुद्ध महाविद्यालय प्राचार्यो की परिषद तथा एस.एल.पी. क्रं. 24296–24299/2004, डब्ल्यू पी (सी आर सी) नं.173/2006 तथा एस एल पी क्रं. 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या छात्रावास परिसर में या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्कासित किया जाकर उसके विरुद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें –

दण्ड – मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रं. 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय परिसर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर दोषी विद्यार्थी के विरुद्ध निम्नानुसार दंड का प्रावधान है।

1. कक्षाओं में निलम्बन
2. महाविद्यालय से निष्कासन
3. वि.वि./स्वशासी परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

आवश्यक सूचनायें –

- महाविद्यालय में इस सत्र 2009–2010 में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन एवं परीक्षा का कार्य होगा।
- आवेदक एवं उनके अभिभावक से अपेक्षा है कि विवरणिका को पूर्णतः पढ़ लें। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरे एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें।
- विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क स्वयं जमा करें तथा मूल प्रवेश रसीद प्राप्त करें। मूल रसीद सावधानीपूर्वक सम्हाल कर रखें।
- प्रवेश आवेदन फार्म के बाद अपनी अंकसूचियों एवं अन्य समस्तआवश्यक प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियां अनिवार्य रुप से संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल अंकसूचियां तथा प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश अधिभार प्रदान किया जावेगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी समस्त नियम एवं सूचनाएं समय समय पर सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। विद्यार्थी नियमिति रुप से अवलोकन करें एवं प्रवेश की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें।
- आवेदन की समस्त पूर्तियां की जाना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन पत्र विचार नहीं किया जायेगा।

महत्वपूर्ण –

- प्रत्येक विद्यार्थी प्रवेश आवेदन फार्म के साथ स्वयं के पते लिखे तीन पोस्टकार्ड आवश्यक रुप से संलग्न करें।
- निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।
- जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर / गलत जानकारी देने पर जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों / प्रशासकीय

अथवा कार्यालयीन असावधानी वश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तथा ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

- प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना 15 दिवस लगातार या अधिक समय तक अनुपस्थिति रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि (कॉशन मनी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जावेगा।
- महाविद्यालय में /कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रयोग करने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिया जायेगा और आर्थिक दण्ड (जुर्माना)के लिये प्राचार्य अधिकृत है। इसकी पुनरावृत्ति होने पर दण्ड राशि उत्तरोतर बढ़ा दी जायेगी और मोबाइल फोन जप्त कर लिया जायेगा।
- कक्षाओं में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति आवश्यक है। उपस्थिति पूर्ण न होने पर विद्यार्थी को परीक्षा में स्वाध्याय के रुप में बैठना होगा।
- रैगिंग के लिप्त विद्यार्थी के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही, महाविद्यालय से निष्कासन, छात्रवृत्ति तथा आय प्रदत्त वापस लेने की कार्यवाही के अलावा अर्थदण्ड और सार्वजनिक क्षमायाचना का भी प्रावधान रहेगा।

महाविद्यालय का परिचय –

शासकीय स्नातक महाविद्यालय शहपुरा की स्थापना नवम्बर 1983 में हुई तथा दीर्घावधियों में महाविद्यालयों ने अनेक ख्याति अर्जित की। वर्तमान में इस में अध्ययन किए हुए विद्यार्थी केन्द्र एवं राज्य शासन के अनेक उच्चस्थ पदों में इस महाविद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र शासकीय सेवाओं से सम्बद्ध हैं तथा यहां से शिक्षा अनेक विद्यार्थी समाज, राजनीति, उद्योग व्यापार, कला, साहित्य एवं प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों क्रीडा एवं साहित्यिक गतिविधियों के क्षेत्र में यहां के विद्यार्थियों ने राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

अकादमिक व सांस्कृतिक कैलेण्डर –

अ. सत्र 2009–2010 से सेमेस्टर परीक्षा पद्धति लागू है।

ब. सत्र 2013–14 से प्रस्तावित सांस्कृतिक एवं क्रीडा कैलेण्डर म.प्र. शासन शिक्षा विभाग द्वारा जारी होगा, तदानुसार पालन सुनिश्चित है।

सेमेस्टर पद्धति (परिचय) :

शासन द्वारा सत्र 2009–10 से महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति (Symester System) लागू हो गई है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक छः माह पश्चात सेमेस्टर परीक्षायें आयोजित होगी। प्रत्येक सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं हेतु विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरनें होंगे। इन परीक्षा में जो विद्यार्थी किसी विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त नहीं कर पाते है उन्हें ए.टी.के.टी (Allowed to keep Term) प्राप्त हाती है।उन्हें ए.टी.के.टी. प्राप्त प्रत्येक विषय हेतु परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क के साथ अलग से जमा करना होगा। विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में एक सतत् मूल्यांकन, प्रोजेक्ट वर्क, अंतिम सेमेस्टर जॉब इंटर्नशिप के लिये अंकों का निर्धारण किया गया है। परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्तांकों में उपरोक्त के लिये निर्धारित अंकों को जोड़ा जावेगा।

1. **महाविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम**

विज्ञान कला

अ. स्नातक प्रथम वर्ष (सेमेस्टर पद्धति) - विज्ञान/कला संकाय अधिकतम - 100 + 180 = 280

ब. बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में लिए गए विषय ग्रुप अगले सेमेस्टरों में निरन्तर जारी रहेंगे।

2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध स्थान (सीट्स)

अ. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध - (सेमेस्टर) अधिकतम

1. **हिन्दी साहित्य - 40**
2. **इतिहास - 40**
3. **अर्थशास्त्र - 40**

प्रवेश संबंधी नियम -

अ. महाविद्यालय में प्रवेश, मध्यप्रदेश शासन उच्च विभाग द्वारा जारी प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धांत नियम के अन्तर्गत गुणानुक्रम एवं स्थान की उपलब्धता के आधार पर दिये जावेंगे।

ब. आरक्षण संबंधी नियम - म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धांत नियम मे वर्णित आरक्षण नीति एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुरुप, प्रवेश हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदत्त की जावेगी। समय समय पर शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण संबंधी प्रावधान भी शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रभावशील रहेंगे।

स. अधिभार संबंधी नियम -

- **अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इनका उपयोग नही किया जावेगा।**
- **अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों पर अधिभार देय नहीं होगा।**
- **एक से अधिक अधिभार की पात्रता की स्थिति में केवल सर्वाधिक, एक अधिभार ही देय होगा।**
- **एन सी सी/ एन एस एस/ खेलकूद में विशिष्ट प्रावीण्यता के लिये निश्चित अधिभार देय होगा जो विद्यार्थी का उपलब्धि के अनुपात में शासन द्वारा प्रवेश के मार्ग दर्शी नियमों के आधार पर होगा।**
- **स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के सेमेस्टर में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानक्रम निर्धारित किया जावेगा। अधिभार की पात्रता होने पर घटे हुए प्राप्तांकों पर ही अधिभार देय होगा।**

द. अन्य नियम -

- **सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।**
- **प्रवेश हेतु समिति द्वारा अनुशंसित विद्यार्थियों की सूची, महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी। इसके लिये विद्यार्थियों को नियमित रूप से सूचना पटल देखना होगा।**

- विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये कक्षावार अंतिम तिथि की सूचना, महाविद्यालय के सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जावेगी।
- बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र/प्रावधिक प्रमाण पत्र के आधार पर बिना अंकसूची के आवेदन जमा किये जावेंगे। इंटरनेट से डाउनलोड कर प्राप्त अंकसूची की प्रति को मान्य किया जावेगा।

इ. प्रवेश सूची का प्रकाशन -

- प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु अनुशंसित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देने के बाद कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत और अंकों के विवरण के साथ, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष आवेदन पत्र के साथ लगाई गई अंकसूचियों प्रमाण पत्र की छायाप्रति को सत्यापित करने के लिये मूल अंकसूची तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश वैध एवं मान्य होगा।
- घोषित प्रवेश सूची के विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने के लिये निर्धारित अंतिम तिथि व्यतीत हो जाने के बाद केवल स्थान रिक्त होने की दशा में विलम्ब शुल्क रु. 100/- के साथ प्रवेश दिया जा सकेगा।

ड. प्रवेश के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र -

महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश ले रहे, विद्यार्थी अपने प्रवेश आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रुप से संलग्न करें :-

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) की सत्यापित प्रति (प्रवेश मिलने पर मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र टी.सी. जमा करना होगा)
2. विगत परीक्षा की सत्यापित अंक सूची
3. मूल निवासी प्रमाण पत्र की सत्यापित सूची
4. चरित्र प्रमाण पत्र
5. जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति/अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनीपरत को छोड़कर) के आवेदकों द्वारा
6. विकलांग/निः शक्तजन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र
7. अध्ययन क्रम में अंतराल होने पर प्रमाण पत्र (गैप सर्टिफिकेट)
8. रक्त समूह प्रमाण पत्र
9. आव्रजन/प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) - (यदि आवेदक सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम/म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल या म.प्र. के विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी मंडल या विश्वविद्यालय का हो)
10. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 10 वीं कक्षा की सत्यापित अंक सूची
11. यदि स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश लेना हो तो माता/पिता/पालक का कार्यालय में पदस्थ का प्रमाण पत्र तथा स्थानांतरण आदेश की छाया प्रति (केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय कर्मचारियों हेतु)

परिचय पत्र –

परिचयन पत्र, प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जावेगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये पासपोर्ट आकार का फोटो लगा परिचय पत्र बनवाना एवं महाविद्यालय में प्रतिदिन लाना अनिवार्य है। परिचय पत्र के अभाव में–पुस्तकालय से पुस्तकें, स्थानांतरण प्रमाण पत्र कॉशन मनी नहीं मिलेगी। महाविद्यालय के समारोहों / कार्यक्रमों में परिचय पत्र बिना प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। इसके गुमने/खो जाने पर इसकी सूचना तुरन्त महाविद्यालय एवं पुलिस थाना को देनी चाहिए। पुलिस थाने में की गई रिपोर्ट की छायाप्रति संलगन करने पर डुप्लीकेट परिचय पत्र बनाया जायेगा।

स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के नियम –

स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को संबंधित विभागों में अदेय प्रमाण पत्र (नो–डयूज) लेना होगा। टी.सी. के लिये निर्धारित शुल्क जमा करने होंगे। आवेदन पत्र के साथ शुल्क की रसीद व अदेय प्रमाण पत्र संलग्न कर कार्यालय में जमा करना होगा।

कॉशन मनी लौटाने की विधि –

1. विद्यार्थी द्वारा टी.सी. लेने के पाश्चात् ही काशन मनी का भुगतान होगा।
2. काशन मनी प्राप्त करने के लिये आवेदन के साथ प्रवेश की मूल रसीद संलग्न कर 15 दिन पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।
3. महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर कॉशन मनी प्राप्त की जा सकेगी। इसके पश्चात शासन के आदेशानुसार उक्त राशि राजसात हो जायेगी।

निर्धन विद्यार्थी सहायता कोष –

इसके अंतर्गत अनारक्षित वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिये विद्यार्थी को आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित आवेदन करना होगा।

छात्रवृत्तियां –

महाविद्यालय में भारत सरकार द्वारा देय एवं म.प्र. शासन द्वारा देय एकीकृत छात्रवृत्तियों एवं शिष्यवृत्तियों को नियमानुसार देने की व्यवस्था है। जिसकी सूचना महाविद्यालय द्वारा समय समय पर सूचना पटल पर लगाई जाती है। पात्र विद्यार्थी, अपना आवेदन आयुक्त उच्च शिक्षा की ओर प्राचार्य के माध्यम से भेजें।

छात्रवृत्ति की पात्रता –

1. छात्र/छात्राओं के अभिभावक म.प्र. के मूल निवासी हों।
2. एक ही माता पिता के दो बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
3. पाठ्यक्रम निरंतर जारी हो।
4. स्थाई जाति प्रमाण पत्र

5. **ऐसे अभिभावक जिनकी समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय निम्नानुसार हो आय प्रमाण पत्र।**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति	**पिछड़ी जाति**
1,00,001 से 1,20,000 तक पूरी छात्रवृत्ति	**75000 से कम पूरी छात्रवृत्ति**
1,21,001 से 1,80,000 तक आधी शुल्क छात्रवृत्ति	**75001 से अधिक पर कोई पात्रता नहीं**
1,81,001 से अधिक पात्रता नहीं एवं शासन द्वारा जारी नियमानुसार	

अन्य छात्रवृत्तियां –

1. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति – योग्यता के आधार पर सभी वर्गों के लिये**
2. **एकीकृत छात्रवृत्ति –**
3. **विकलांग छात्रवृत्ति – जिला पंचायत से स्वीकृत होती है।**
4. **गांव की बेटी योजनान्तर्गत – गांव की कोई बालिका प्रथम श्रेणी में मेरिट लिस्ट के आधार पर बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश ली हो।**

शासकीय योजनाएं –

जनभागीदारी योजनाएं –

महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति पंजीयन क्रमांक जे.डी. 6158 दिनांक 28.6.2002 है।

शिक्षक अभिभावक योजना –

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं बेहतर शैक्षणिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक–अभिभावक योजना संचालित है। विद्यार्थी महाविद्यालय में आने वाली अपनी किसी भी समस्या का निदान शिक्षक–अभिभावक के माध्यम से कर सकते हैं। समय समय पर बैठक आयोजित कर, शिक्षक अभिभावक विद्यार्थियों की प्रगति एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी अभिभावक को दी जाती है।

गांव की बेटी योजना –

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार ग्रामीण छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है।

आवागमन योजना –

उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी नियमानुसार देय होगा।

प्रतिभा किरण योजना –

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुसार शहरी छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है।

विवेकानंद कैरियर एवं रोजगार मार्ग दर्शन प्रकोष्ठ –

इस प्रकोष्ठ के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, युवा उद्यमियों के आवश्यक मार्गदर्शन तथा रोजगार हेतु प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है।

बुक बैंक योजना –

महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बुक बैंक योजनान्तर्गत पाठ्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी निःशुल्क प्रदाय की जाती है।

सिटीजन चार्टर एवं सूचना का अधिकार –

शासन के निर्देशानुसार, प्रशासन में पारिदर्शिता व्यक्त करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में लगे बड़े बड़े बोर्डों पर जानकारियां अंकित की गई हैं। विद्यार्थी बोर्ड पर उल्लेखित जानकारियों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर, संबंधित सत्य प्रतिलिपियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ –

किसी प्रकार से पीड़ित होने पर प्रकोष्ठ छात्राओं की समस्याओं का निदान करती है। इसकी जानकारी भी महाविद्यालय में लगे बोर्ड पर अंकित की गई है। महाविद्यालय में इसके लिए एक शिकायत पेटी भी लगी हुई है।

संरचनात्मक सुविधायें –

1. महाविद्यालय में 12 अध्ययन कक्ष हैं, 06 कक्ष निर्माणाधीन है।
2. महाविद्यालय में 02 कम्प्यूटर है।
3. नियमिति विद्यार्थियों के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर है।
4. अध्यापन कक्षों में पंखें एवं ट्यूब लाईट लगे हैं।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

1. पुस्तकालय का समय प्रतिदिन (कार्यशील दिवस) प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक।
2. आरक्षित संवर्ग के विद्यार्थियों के लिये पृथक से बुक बैंक की सुविधा।
3. पुस्तकालय एवं वाचनालय संबंधी नियमावली की सूचना बोर्ड पुस्तकालय में लगा दिया गया है।

क्रीडा सुविधायें –

1. खेल मैदान है।
2. इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की पूर्ण सुविधायें।

अन्य सुविधायें –

1. शुद्ध पेयजल हेतु महाविद्यालय के पास स्वयं का बोरवेल उपलब्ध है।
2. साफ एवं स्वच्छ पुरुष प्रसाधन तथा महिला प्रसाधन।
    1. शैक्षणोत्तर गतिविधियाँ –
        - एन.एस.एस. (महाविद्यालय में एन.एस.एस. ईकाई संचालित है जिसमें नियमित गतिविधि के अतिरिक्त त्रिदिवसीय एवं दस दिवसीय शिविर आयोजित किए जाते हैं।)

2. **क्रीडा गतिविधियाँ –**

महाविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित विभिन्न खेल विधाओं के आयोजन, प्रशिक्षण एवं सहभागिता में महाविद्यालय के छात्र भाग लेते हैं।

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम –

स्नातक स्तर – विज्ञान/कला संकाय

स्नातकोत्तर – हिन्दी, इतिहास, अर्थशास्त्र

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हतायें –

1.	**बी.ए.प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर**	**माध्यमिक शिक्षा मंडल 10+2**
2.	**बी.ए. द्वितीय वर्ष/तृतीय सेमेस्टर**	**बी.ए.प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण**
3.	**बी.ए. तृतीय वर्ष /चतुर्थ/पंचम सेमेस्टर**	**विश्वविद्यालय त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम की द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण (इस हेतु रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।)**
4.	**एम.ए.पूर्वार्द्ध /प्रथम सेमेस्टर**	**मान्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा वांछित विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण रहा हो।**
5.	**एम.एम. उत्तरार्द्ध/तृतीय सेमेस्टर**	**रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से उसी विषय की एम.ए. पूर्वार्द्ध अथवा मान्य विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में एम.ए. पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति आवश्यक है।**

(क) कला संकाय की स्नातक कक्षाओं के छात्रों के लिये –

अनिवार्य विषय – आधार पाठ्यक्रम

निम्नलिखित में से कोई तीन विषय लेना अनिवार्य होगा –

1. हिन्दी साहित्य	**2. समाज शास्त्र**	**3. भूगोल या इतिहास**
3. अर्थशास्त्र	**5. राजनीति शास्त्र**	**6. अंग्रेजी**

(ख) विज्ञान संकाय –

1. जीव विज्ञान	**2. वनस्पति विज्ञान**	**3. रसायन विज्ञान**
4. भौतिक विज्ञान	**5. गणित**	

(ग) 1. **प्रवेशार्थी विश्वविद्यालय के नियम सहित पाठ्यक्रम का अवलोकन करें।**

2. **बी.ए./बी.एस.सी द्वितीय सेमेस्टर एवं तृतीय सेमेस्टर के विषय वहीं रहेंगे जो बी.ए. प्रथम वर्ष सेमेस्टर एवं बी.ए. प्रथम में थे।**

पुस्तकालय –

महाविद्यालय में एक सुसज्जित पुस्तकालय है। किसी भी पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। विद्यार्थी निश्चित अवधि हेतु निर्धारित संख्या में पुस्तकें ले सकते है, विलम्ब से पुसतकें वापिस करने पर 2.00 रुपये पुस्तक प्रतिदिन दर से भुगतान करना पड़ेगा।

- **शुल्क संरचना एक दृष्टि में – महाविद्यालय में प्रतिवर्ष प्रवेश के समय देय शुल्क की राशि की तालिका प्रकाशित करें। तालिका में विभिन्न शीर्षो (Heads) के अंतर्गत ली जाने वाली विभिन्न मदों को दर्शाये।**

कार्यालय प्राचार्य शासकीय स्नातक महाविद्यालय शहपुरा जिला डिण्डौरी

प्रवेश शुल्क विवरण तालिका

शासकीय शुल्क :

स्टेशनरी	3/-
प्रवेश शुल्क	3/-
प्रायोगिक शुल्क	150/-
जनभागीदारी शुल्क	300/-
शिक्षण शुल्क	
स्नातक स्तर	115/-
स्नातकोत्तर	126/-

अशासकीय शिक्षण शुल्क –

	शुल्क मद	बी.ए./बी. एस.सी. प्रथम वर्ष	बी.ए. द्वितीय वर्ष	बी.ए. तृतीय वर्ष	एम.ए. पूर्वार्द्ध	एम.ए. उत्तरार्ध
1. ए.एफ. मद :						
1.	महाविद्यालय विकास शुल्क	400	400	400	400	400
2.	स्नेह सम्मेलन शुल्क	25	25	25	25	25
3.	सम्मिलित निधि	32	32	32	32	32
4.	महाविद्यालय विकास परिषद	25	25	25	25	25
	योग	482	482	482	482	482
2. पी.डी.मद :						
1.	वि.वि. नामांकन शुल्क	110	–	–	–	–
2.	वि.वि. सांस्कृतिक शुल्क	220	220	220	220	220
3.	शारीरिक कल्याण शुल्क	330	330	330	330	330
4.	छात्र संघ शुल्क	220	220	220	220	220
5.	छात्र वाचनालय शुल्क	45	45	45	45	45
6.	चिकित्सा शुल्क	5	5	5	5	5
7.	निर्धन छात्र शुल्क	5	5	5	5	5
8.	परिचय पत्र शुल्क	20	20	20	20	20
9.	अवधान राशि	60	–	–	100	
10.	कैरियर मार्ग दर्शन शुल्क	12	12	12	12	12
11.	उद्यमिता विकास शुल्क	50	–	–	–	–
12.	पर्यावरण अध्ययन शुल्क	–	100	–	–	–
13.	कम्प्यूटर अध्ययन शुल्क	–	–	200	–	–
14.	पत्रिका शुल्क	–	–	–	–	–
15.	ग्रंथालय उन्नयन शुल्क	110	110	110	110	110
	योग	1187	1067	1167	1067	967
3.	वि.वि.मद. परियोजना कार्य शुल्क	100	100	100	150	150
	योग	100	100	100	150	150
	कुल महायोग	1769	1649	1769	1699	1599

1. इमिग्रेशन शुल्क रुपये 220/– उन छात्र/छात्राओं को देय होगा जिनके द्वारा अन्य बोर्ड/वि.वि. से पिछली कक्षा की परीक्षा पास कर इस महाविद्यालय में आगामी कक्षा के लिए प्रवेश लेंगे।

2. शासन या विश्वविद्यालय आदेशानुसार शुल्क में परिवर्तन किया जा सकता है।

अनुशासन –

1. महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करना होगा।
2. प्राध्यापकगण एवं महाविद्यालय के कर्मचारियों के साथ नम्रता एवं शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
3. यदि किसी कर्मचारी के कार्य व व्यवहार से शिकायत हो तो कानून हाथ में न लेकर प्राचार्य को लिखित शिकायत करें।
4. सभी छात्र/छात्राओं के प्रति मैत्रीभाव रखना होगा।
5. महाविद्यालय में व्यवस्था हेतु शांति बनाये रखना प्रत्येक छात्र का कर्त्तव्य है।
6. राजनैतिक हलचल एवं प्रदर्शनों में कोई भी छात्र भाग नहीं लेगा।
7. अनुचित कार्यो में संलग्न छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्तर कर दिया जायेगा।
8. प्रत्येक छात्र हर समय अपना परिचय पत्र साथ में रखेगा एवं मांगे जाने पर निरीक्षण हेतु तत्काल प्रस्तुत करेगा।

शासकीय स्नातक महाविद्यालय शहपुरा में कार्यरत

प्राचार्य/प्राध्यापकों की सूची

1.	श्री सी.एस. परस्ते	–	प्राचार्य/सहा.प्रा.इतिहास
2.	श्री एस.बी.उरैती	–	सहा.प्रा. हिन्दी
3.	श्री ए.भूषण	–	सहा.प्रा. राजनीति शास्त्र
4.	श्रीमती आर. आरमो	–	सहा.प्रा. समाज शास्त्र
5.	श्री एस.एस. धुर्वे	–	सहा.प्रा. अंग्रेजी
6.	श्री एस.आर.मेहरा	–	सहा.प्रा.भूगोल

कार्यालयीन कार्यरत कर्मचारियों की सूची

1.	श्री बी.एल.साहू	–	मुख्य लिपिक
2.	श्री आर. के. पाठक	–	सहा.ग्रेड–3

चतुर्थ श्रेणी :

1.	श्री राजेश कुमार संद्राम	–	भृत्य
2.	श्री तितरा मार्को	–	चौकीदार
3.	श्री शारदा प्रसाद	–	स्वीपर

प्राचार्य
शासकीय स्नातक महाविद्यालय
शहपुरा जिला डिंडोरी

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं माता/पिता/अशासकीय अधिकारी/ कर्मचारियों के आय प्रमाण पत्र

प्रपत्र

दिनांक ....

कार्यालय का नाम :

प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी का नाम श्री ....

पिता का नाम श्री ....पद का नाम..

विभाग का नाम ....विगत .... वर्षों से पदस्थ हैं।

इनकी मासिक एवं वार्षिक आय निम्नानुसार है।

मासिक आय –

1.	मूल वेतन	:	....
2.	वेतन भत्ता	:	....
3.	महंगाई भत्ता	:	....
4.	गृह भाड़ा भत्ता	:	....
5.	परियोजना भत्ता	:	....
6.	अन्य भत्ता	:	....

....

योग :

....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अधिकारी / कर्मचारी की 31 मार्च 20 की स्थिति में शासकीय अभिलेखानुसार वार्षिक आय रु. .... शब्दों में रुपये .... है।

उक्त प्रकरण पत्र संबंधित के पाल्य/पाल्या कु./श्री .... कक्षा .... के उच्च शिक्षा अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में जारी किया गया।

दिनांक :

आहरण/संवितरण अधिकारी

हस्ता.एवं सील

नोट : जिन छात्र/छात्रा के माता एवं पिता दोनों शासकीय अधिकारी/कर्मचारी हो तो दोनों का अलग–अलग आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।